

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक: प्रा0मान्यता-अंग्रेजी माध्यम /31071-80 /2020-21 दिनांक: 25.3.21

प्रबंधक,

डीएवी एनयूपीपीएल पब्लिक स्कूल,
एनयूपीपीएल टाउनशिप घाटमपुर, कानपुर नगर।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम -2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या -196/अरसठ-3-2020-2041 /2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 29 जून -2020 में निर्दिष्ट निर्देशों /कार्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और जाँच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में जनपदीय मान्यता समिति कानपुर नगर की बैठक दिनांक 25.03.2021 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं, डीएवी एनयूपीपीएल पब्लिक स्कूल, एनयूपीपीएल टाउनशिप घाटमपुर, कानपुर नगर को शिक्षा सत्र 2021-22 से एक शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है:-

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय कक्षा-1 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4-पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5-सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यालय में शिक्षणकार्य टी0ई0टी0उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाय।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 के अधीन विनिष्ट अपने/कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

कमरा-2 पर

1



PRINCIPAL
DAV NUPPL PUBLIC SCHOOL
NUPPL
Kanpur
20206

(2)

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-

क्र०सं०	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	22400 वर्ग फुट
2	कुल निर्मित क्षेत्र	3517 वर्ग फुट
3	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	-
4	कक्षाओं की संख्या	5
5	प्रध्यापक -सह कार्यालय- सह भण्डारागार के लिये कक्ष	5
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/3
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिबल
8	बाधा रहित पहुँच	मुख्य राजमार्ग के निकट है।
9	अध्यापक पढ़न सामग्री/क्रीडा खेल-कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
 10- विद्यालयभवन या संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोगकेवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकान्टेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रा०मा०-अंग्रेजी माध्यम-2020-21/...4.2 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
 17- प्रबन्धाधिकारण द्वारा यदि कोई तथ्य गोपन किया जाना पाया गया तो विभागीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(डा०पवन कुमार)

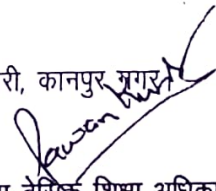
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

25/3/2021

पृ०सं०/प्रा०मान्यता-अंग्रेजी माध्यम/31071-80 /2020-21 तददिनांक।
 प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक (बे०) उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
- 2- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।
- 5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर क्षेत्र) कानपुर नगर।
- 6- कार्यालय प्रति।


 PRINCIPAL
 DAV NUPPL PUBLIC SCHOOL
 NUPPL Township, Ghatampur,
 Kanpur Nagar, UP - 209206


 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 कानपुर नगर।

25/3/2021